



भारत एवं उसके छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंध

Dr Manoj Kumar Sharma

Assistant Professor, R P pg College Meerganj Bareilly

सार

दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश (आकार और जनसंख्या के हिसाब से) होने के नाते भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति की भूमिका निभाने का अपना स्वाभाविक अधिकार मानता है। अपने आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करने और क्षेत्र के बाहर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, भारत अपने छोटे पड़ोसियों की आंतरिक और बाहरी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है मुख्य रूप से अमेरिका और पश्चिम से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ, भारतीय नीति व्यवहार दक्षिण एशियाई पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने और इसे क्षेत्र से परे विस्तारित करने के अपने उद्देश्य को जारी रखने की संभावना है।

मुख्य शब्दरूप भारत ए चीन, नेपाल, भूटान, बग्लादेश, पाक

प्रस्तावना

भारत क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा आर्थिक एवं सैन्य क्षमताओं के संदर्भ में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अत्यधिक विशाल देश है, यहाँ तक कि यह उनकी कुल क्षमता से भी विशाल है। प्रत्येक पड़ोसी देश, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित अन्य देशों की अपेक्षा भारत के साथ अधिक महत्वपूर्ण नैतिक, भाषाई या सांस्कृतिक विशेषतायें साझा करता है। यह असंतुलन ही पड़ोसी देशों के प्रति भारत की और भारत के प्रति पड़ोसी देशों की पड़ोस की अवधारणा को आकार प्रदान करता है। परन्तु भारत को यह भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि इस असंतुलन का स्तर इतना अधिक भी नहीं है कि उसके पड़ोसी देशों को अपने हितों को भारत के साथ संरेखित करने हेतु विवश करे। यह भारत के लिए निकट क्षेत्रों से सम्बद्ध चुनौती है।

स्वतंत्रता के पश्चात से, उपमहाद्वीप में कई प्रमुख पुनर्विन्यास हुए हैं, जिनके परिणामस्वरूप भारत को अपने पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु अन्य देशों के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है। इसके कारण या तो अतिशय या प्रायः गलत दिशा में उदारता एवं सामंजस्य अथवा कठोर अनावश्यक प्रतिक्रिया की स्थिति उत्पन्न हुई है यद्यपि विगत दशकों के दौरान अपने पड़ोसी देशों और सार्क के प्रति भारत के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। यह इस बढ़ती स्वीकृति का परिणाम है कि वैश्वीकृत होती भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण अपरिहार्य है। 2014 में सभी सार्क देशों के नेताओं को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित कर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति की शुरुआत की गई थी। परन्तु वर्तमान में यह नीति दिशाहीन प्रतीत हो रही है।

दक्षिण एशिया में स्थित भारत पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र न केवल जटिल और अस्थिर है, बल्कि दुनिया के सबसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से विभाजित क्षेत्रों में से एक है। दक्षिण एशियाई देश व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ऐतिहासिक संबंधों, साझा विरासतों, समानताओं के साथ-साथ विविधताओं की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनके जातीय, भाषाई, धार्मिक और राजनीतिक ताने-बाने में विस्तृत रूप से परिलक्षित होते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र भी असमानताओं और विरोधाभासों से भरा है। उत्तर-औपनिवेशिक काल में, दक्षिण एशिया अंतरराज्यीय युद्धों के साथ-साथ गृहयुद्धों का भी अखाड़ा रहा है तथा इसने मुक्ति आंदोलन, परमाणु प्रतिद्वंद्विता, सैन्य तानाशाही देखी है और नशीली दवाओं और मानव तस्करी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के अलावा विद्रोह, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद से पीड़ित है।

उद्देश्य

1. अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की नीति का आलोचनात्मक विष्लेषण का अध्ययन
2. भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों का वर्णनात्मक

भारत तथा पड़ोसी देश भारत की उत्तरी सीमा पर चीन, नेपाल और भूटान राष्ट्र स्थित हैं। पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान स्थित हैं। उत्तर-पूर्वी सीमा पर म्यांमार और बांग्लादेश स्थित हैं। भारत के विशाल क्षेत्रफल के कारण इसकी सीमाएँ बहुत विस्तृत हैं तथा अनेक पड़ोसी सम्प्रभु राष्ट्रों से मिलती हैं। पंचशील के सिद्धान्तों में अटूट विश्वास होने के कारण भारत ने सदैव यही प्रयास किया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ उसके सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बने रहें। भारत ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का संचालन किया है तथा समय-समय पर उनके आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास में भी सहयोग दिया है। दक्षेस इन तथ्यों का जीता-जागता उदाहरण है। भारत के उसके पड़ोसी देशों से सम्बन्धों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है।

नेपाल— नेपाल के साथ भारत के बहुत प्राचीन सम्बन्ध हैं। नेपाल के नागरिकों को भारत में अनेक सुविधाएँ प्राप्त हैं। भारत ने नेपाल की अनेक परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी है। 13 अगस्त, 1971 ई० को भारत व नेपाल के बीच एक व्यापारिक सम्झौता हुई। नेपाल अपने आन्तरिक संकट से जूझ रहा है, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। 27 नवम्बर, 2011 को तत्कालीन वित्तमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने नेपाल की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने ३० रामबरन यादव, राष्ट्रपति तथा बाबूराम भट्टराई, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अपने नेपाली प्रतिरूप श्री बरसामन पुन से उन्होंने द्विपक्षीय सलाह की जहाँ उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की समीक्षा की तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा की। नेपाल के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वित्तमंत्री ने संशोधित डबल टैक्सेशन एवायडेंस एग्रीमेंट (डीटीए) पर हस्ताक्षर किए। भारत एवं नेपाल के सांसदों के मध्य परस्पर संपर्क बढ़ाने तथा बेहतर समझ एवं मित्रता का विकास करने के लिए 26-29 मार्च, 2011 को 6 युवा

भारतीय सांसदों के दल ने नेपाल की यात्रा की। 7–13 अगस्त, 2011 के दौरान नेपाल के 15 महिला संविधान सभा सदस्यों (सांसदों) ने भारत की यात्रा की। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत एवं पर्यटकों का हब रहा है। वर्तमान में भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत छोटे तथा बड़े लगभग 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग करने तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, भारत नेपाल को भारत से जुड़े उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में समेकित चेक पोस्टों का विकास, क्रास बार्डर रेल लिंक तथा तराई क्षेत्र में फीडर रोड तथा पाश्विक सड़कों के विकास के जरिए आधारभूत संरचना का विकास करने में सहायता प्रदान कर रहा है। भारत ने वर्ष 2019 में कैबिनेट की बैठक में अरूण-3 पन बिजली परियोजना के लिए 1236 करोड़ रुपये निवेश करने की मंजूरी दी है।

श्रीलंका— श्रीलंका एवं भारत के सम्बन्ध प्राचीनकाल से ही मैत्रीपूर्ण एवं घनिष्ठ रहे हैं। सन् 1984 ई० में तमिल लोगों की समस्या को लेकर श्रीलंका सरकार का दृष्टिकोण भारत–श्रीलंका सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा था, परन्तु सन् 1988 ई० में कोलम्बो समझौते के बाद दोनों देशों के बीच सम्बन्ध अब सौहार्दपूर्ण हो गए हैं। 2019 में श्रीलंका में शुरू हुई आर्थिक मंदी के समय भारत ने श्रीलंका को मंदी से निकलने के लिए आर्थिक सहायता दी थी।

म्यांमार (बर्मा)— म्यांमार एवं भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों में स्थल–सीमा के निर्धारण हेतु एक समझौता हो चुका है और दोनों देश गुट–निरपेक्ष नीति के समर्थक हैं। सभ्यतापरक जुड़ावों, भौगोलिक सामीप्य, संस्कृति, इतिहास तथा धर्म के सम्बन्धों से जुड़े भारत तथा म्यांमार के बीच काफी निकट सम्बन्ध रहे हैं। भारत तथा म्यांमार परस्पर 1600 किमी से अधिक की थल सीमा एवं बंगाल की खाड़ी की समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारतीय मूल की एक बड़ी जनसंख्या (अनुमानतः 2.5 मिलियन) म्यांमार में निवास करती है। भारत तथा म्यांमार के सम्बन्धों में संतोषजनक वृद्धि एवं विविधता आई है तथा पिछले वर्षों इसमें बढ़ी हुई गति देखी गई। इस दौरान अक्टूबर, 2011 में म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, विदेश मंत्री की जून, 2011 में म्यांमार यात्रा तथा म्यांमार के विदेश मंत्री की जनवरी, 2012 में यात्रा शामिल है। वर्ष 2011–12 को म्यांमार के राजनीतिक ढाँचे के बदलाव के रूप में चिह्नित किया गया, क्योंकि इस दौरान संसदीय प्रजातन्त्र ढाँचे को ग्रहण किया गया। एक विस्तृत तथा व्यापक आधारित तरीके से प्रजातन्त्र में परिवर्तित होने के म्यांमार के प्रयासों को भारत ने निरन्तर सहयोग दिया है।

भूटान— भारत–भूटान सम्बन्ध प्रारम्भ से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत प्रतिवर्ष भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अगस्त, 2011 में नई दिल्ली में आयोजित भारत–भूटान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भारत ने भूटान के निवेदन पर सहमति जताते हुए डालू एवं घासूपारा लैन्ड कस्टम स्टेशनों का उपयोग भूटानी कार्यों के लिए तथा चार अतिरिक्त प्रवेश व निकास बिन्दु के नोटिफिकेशन पर सहमति दी। 68 प्रमुख सामाजिक आर्थिक सेक्टर प्रोजेक्ट यथा, कृषि, सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटी), मीडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, संस्कृति तथा आधारभूत संरचना में भारत द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। लघु विकास प्रोजेक्ट (एसडीपी) के अंतर्गत देश के 20 जिलों एवं 205 ब्लाकों में 1900 प्रोजेक्टों के लिए भारत द्वारा भूटान को अनुदान दिया जा रहा है। पुनतसांगचू–1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) पूर्ण गति पर है तथा पुनतसांगचू–2 तथा मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बेहतर तरीके से प्रगति पर है। इस प्रकार

दोनों देश भूटान में वर्ष 2020 तक लगभग 10,000 मेगावाट बिजली के संयुक्त उत्पादन के लक्ष्य के करीब हैं, जिसका निर्यात भारत को किया जा सकेगा।

पाकिस्तान— पिछली शताब्दी में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों में काफी कटुता रही है, कई मुद्दों की गम्भीरता भी दोनों देशों को आपसी टकराव के कारण झेलनी पड़ी। लेकिन इककीसवीं सदी के प्रारम्भ होने पर इन देशों के नेताओं तथा सामान्य जनता ने भी सुधार लाने का प्रयत्न किया। प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वाजपेयी व मुशर्रफ के बीच अनेक वार्ताएँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुईं। श्री मनमोहन सिंह की सरकार में पर-राष्ट्र मन्त्रालय के स्तर पर भी विदेश सेवा के उच्च अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 'वीजा' की शर्तों को अब कुछ आसान कर दिया गया है। दोनों देशों को उच्चायोगों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की भी छूट दी गई है। पाकिस्तान की जेलों में कैद अनेक भारतीय मछुआरों को उच्च हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप रिहा कर दिया गया है। भूटान के नगर थिम्पू में हुए सार्क सम्मेलन में भारत-पाकिस्तान के प्रधानमन्त्रियों के बीच अनेक मुद्दों पर वार्ता हुई। इन सब बिन्दुओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में दोनों देशों के मध्य विवादित पहलू समाप्त हो जाएँगे तथा सहयोग और मैत्री का नया आयाम विकसित होगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया जिसका पाक द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया गया जिससे दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ा है।

बांग्लादेश— बांग्लादेश के गठन में भारत की पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन् 1972 ई० में 'शान्ति व मैत्री सन्धि' होने से दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रदान किए गए बांग्लादेश फ्रीडम एवार्ड को स्वीकार करने यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने 24-25 जुलाई, 2011 को ढाका की यात्रा की। सेंट्रल त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मानद डी० लिट् पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 11-12 जनवरी, 2012 को त्रिपुरा की यात्रा की। दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण एवं गतिपूर्ण द्विपक्षीय सहयोग के निष्कर्ष के रूप में दो ऐतिहासिक समझौते एवं आठ अन्य द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इसमें शामिल है सहयोग एवं विकास पर एक लैंडमार्क तथा अग्रदर्शी समझौता जो परस्पर शान्ति, समृद्धि तथा स्थायित्व हासिल करने के लिए एक टिकाऊ तथा दीर्घकालीन सहयोग के साझा विजन को रेखांकित करता है तथा 1974 समझौते के प्रोटोकॉल को भी रेखांकित करता है जो भारत-बांग्लादेश की थल सीमा के निर्धारण से सम्बन्धित है। प्रोटोकॉल 1974 के बल सीमा समझौते के तीन लंबित मुद्दों के हल होने को राह दिखलाता है, जो हैं—(प) अनिर्धारित थल सीमा सेगमेन्ट, (पप) एनक्लेव का आदान-प्रदान तथा (पपप) प्रतिकूल कब्जे का निपटारा। भारत तथा बांग्लादेश में संयुक्त रूप में रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म वर्षगाँठ मनाया जाना दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है। संयुक्त समारोह के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम० हामिद अंसारी ने 5-6 मई, 2011 को ढाका की यात्रा की। पूरे वर्ष के दौरान कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों का आदान-प्रदान जारी रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2020 में भारत एवं बांग्लादेश के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

अफगानिस्तान— अफगानिस्तान एवं भारत के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक व तकनीकी सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। हामिद करजाई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। वे उच्च अध्ययन के लिए भारत में कुछ वर्ष व्यतीत कर चुके हैं। भारत के अफगानिस्तान से काफी मधुर सम्बन्ध हैं। भारत नवनिर्माण के लिए अफगानिस्तान को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। पुलों आदि के निर्माण में भी भारत ने अफगानिस्तान को तकनीकी विशेषज्ञ तथा इंजीनियरों का दल उपलब्ध कराया है। अक्टूबर, 2011 में राष्ट्रपति करजई की यात्रा के दौरान भारत तथा अफगानिस्तान ने सामरिक भागीदारी पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते में दोनों देशों के बीच एक मजबूत, जोशपूर्ण तथा बहुमुखी सम्बन्धों पर जोर दिया गया है। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद अफगानिस्तान में तालिवान शासन चल रहा है। तालिवान के साथ भी मोदी सरकार के अच्छे सम्बन्ध हैं।

चीन— भारत—चीन सम्बन्ध वर्तमान में सामान्य और मधुर हैं, किन्तु इन सम्बन्धों को बहुत अधिक मधुर और मित्रतापूर्ण इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत—चीन सीमा विवाद बहुत पुराना है। और उसे सुलझाने की दिशा में चीन की ओर से कभी गम्भीर प्रयास नहीं किए गए। भारत के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी चीन ने कुछ क्षेत्र अपना बताकर उस पर कब्जा कर लिया है। भारत द्वारा बार—बार विरोध व्यक्त किए जाने के बाद भी चीन की ओर से कोई निर्णयात्मक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2010 में भारत गणराज्य तथा चीन के बीच कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 2011 को भारत—चीन आदान—प्रदान वर्ष के रूप में मनाया गया तथा इस दौरान विशेषकर राज्य (प्रांत) स्तर पर दोनों राष्ट्रों के बीच बढ़े हुए आदान—प्रदान देखे गये। दोनों देशों के मध्य नियमित उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क की गति देखी गयी।

बीआरआईसीएस सम्मेलन के दौरान अप्रैल 2011 में सान्या, चीन में भारतीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने चीन के राष्ट्रपति श्री हू जिन्त्ताओ से मुलाकात की। पूर्वी एशिया सम्मेलन के दौरान बाली, इंडोनेशिया में नवंबर, 2011 में उन्होंने चीनी प्रमुख श्री वेन जिआबाओ से मुलाकात की। सघन वार्ता ढाँचे के अंतर्गत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों पक्षों ने परस्पर आदान—प्रदान किया। दोनों देशों के मध्य व्यापार तथा आर्थिक संबंध में व्यापार विस्तार हुआ तथा एक सामरिक आर्थिक संवाद (एसईडी) का प्रारम्भ कर इस सम्बन्ध को और गहरा किया गया। एसईडी की पहली बैठक चीन में सितम्बर, 2011 में हुई। दोनों पक्ष सभी लंबित मुद्दों जिसमें भारत—चीन सीमा प्रश्न भी शामिल है, को एक शान्तिपूर्ण बातचीत से हल करने की प्रतिबद्धता जताई। नई दिल्ली में जनवरी, 2012 में भारत—चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का 15वाँ चक्र सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भारत—चीन सीमा मामले पर सलाह एवं समन्वय हेतु एक कार्यकारी तन्त्र की स्थापना पर समझौता हुआ। 2017 में भारत एवं चीन के बीच डोकलाम को लेकर तनाव काफी बढ़ गया था। गलवान घाटी में 15 और 16 जून 2020 में हवाई पट्टी और सड़क निर्माण को लेकर भारत एवं चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ लेकिन इसमें गोलियाँ नहीं चली थीं। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गये थे तथा कई चीनी सैनिक मारे गये थे।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत ने सदैव अपने पड़ेसी देशों की सम्बन्धता तथा अखण्डता का सम्मान किया है तथा किसी भी राज्य के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अपनी सुदृढ़ तथा शक्तिशाली सैन्य शक्ति होने पर भी भारत ने कभी भी अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण

8. भौमिक, एस. (1998)। उत्तर पूर्व में उग्रवाद. आक्रोश, 1(1).
9. अशांत परिधि (2009) भारत के उत्तर पूर्व का संकट। नई दिल्लीरु सेज प्रकाशन।
10. लुक ईस्ट थर्न नॉर्थईस्ट (2014) भारत के लिए चुनौतियाँ और संभावनाएँ (ओआरएफ समसामयिक पेपर संख्या 51)। नई दिल्ली, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
11. अगरतला सिद्धांत (2016) भारत की विदेश नीति में एक सक्रिय पूर्वोत्तर। नई दिल्लीरु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
12. बिस्वास, पी., और शुक्लाबैद्य, सी. (2009) उत्तर पूर्व भारत में जातीय जीवन—संसाररु एक विश्लेषण। नई दिल्लीरु सेज प्रकाशन।
13. ब्रह्मा, जे. (2010) भारत की विदेश नीति पर दोबारा गौर करनारु विदेश नीति के एजेंडे पर पूर्वोत्तर का मानचित्रण। दिलीप गोगोई (सं.) में, सीमाओं से परेरु पूर्व की ओर देखो नीति और उत्तर पूर्व भारत (पीपी. 13–33)। गुवाहाटीरु डीवीएस पब्लिशर्स।
14. बर्गेस, एफ.एस. (2009) भारत और दक्षिण एशियारु एक सौम्य आधिपत्य की ओर। एच.वी. में पंत (सं.), एकध्रुवीय विश्व में भारतीय विदेश नीति (पृ. 231–250)। नई दिल्लीरु रुटलेज.
15. सीडरलोफ, जी. (2014)। भारत की उत्तर—पूर्वी सीमाओं पर एक साम्राज्य की स्थापना 1790–1840रु जलवायु, वाणिज्य, नीति। नई दिल्लीरु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.